आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
5.6.17	**न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया** जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 244/2016–17 अंचल अधिकारी, अररिया – प्रथम पक्ष **बनाम** 1. श्रीमती वीना सुल्तानियाँ, पति–अरविन्द कुमार सुलतानियाँ, सा0–बसंतपुर, थाना+जिला–अररिया 2. बीबी बानो, पति–मो0 वदुद, सा0–डोरिया, थाना–अररिया, जिला–अररिया 3. श्रीमती संगीता सुलतानियाँ, पति–सुरेश कुमार सुलतानियाँ, सा0–बसंतपुर, थाना+जिला–अररिया 4. अभिषेक कुमार सुलतानियाँ, पिता–श्री अरविन्द कुमार सुलतानियाँ, सा0–बसंतपुर, थाना+जिला–अररिया 5. अरविन्द कुमार सुलतानियाँ, पिता–स्व0 रामोतार सुलतानियाँ, सा0–बसंतपुर, थाना+जिला–अररिया 6. सुरेश कुमार सुलतानियाँ, पिता–रामोतार सुलतानियाँ, सा0–बसंतपुर, थाना+जिला–अररिया **आदेश** प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, अररिया के पत्रांक 3816, दिनांक 23.11.2016 द्वारा निम्न विवरण की जमीन का दर्ज जमाबंदी सं0 2223, 2178, 2222, 2225, 3689 एवं 2226 को रद्द करने हेतु अभिलेख सं0 05/16–17, 06/16–17, 07/16–17, 08/16–17, 09/16–17 एवं 10/16–17 अंचल अररिया अपनी अनुशंसा के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया गया। **वादग्रस्त का विवरण**	

जमाबंदी रैयत का नाम	मौजा	खाता	खेसरा	संधारित रकवा	रद्दीकरण हेतु प्रस्तावित रकवा
श्रीमती वीना सुल्तानियां, पति–श्री अरविन्द कुमार सुल्तानियां, सा0–बसंतपुर	हड़िया थाना नं0 196	388	1033	6.00 ए0	3.00 ए0 जमाबंदी सं0 2223
बीबी वानो, पति–मो0 वदुद, सा0–डोरिया	हड़िया थाना नं0 196	388	1033	1.53 ए0	0.79 ए0 जमाबंदी सं0 2178

5.6.17

श्रीमती संगीता सुल्तानियां, पति–सुरेश कुमार सुल्तानियां, सा0–बसंतपुर	हड़िया थाना नं0 196	388	1033	6.00 ए0	3.00 ए0 जमाबंदी सं0 2222
श्री अभिषेक कुमार सुल्तानियां, पिता–श्री अरविन्द कु0 सुल्तानियां	हड़िया थाना नं0 196	388	1033	2.00 ए0	1.00 ए0 जमाबंदी सं0 2225
श्री अरविन्द कु0 सुल्तानियां, पिता–स्व0 रामोतार सुल्तानियां, सा0–बसंतपुर	हड़िया थाना नं0 196	388	1033	6.00 ए0	4.00 ए0 जमाबंदी सं0 3689
श्री सुरेश कुमार सुल्तानियां, पिता–श्री रामोतार सुल्तानियां, सा0–बसन्तपुर	हड़िया थाना नं0 196	388	1033	3.00 ए0	3.00 ए0 जमाबंदी सं0 2226

विपक्षीगण को सूचना निर्गत की गई। विपक्षीगण के अधिवक्ता शक्ति पत्र के साथ इस न्यायालय में उपस्थित हुए और अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उनके द्वारा बार–बार (प्रत्येक तिथि को) समय की अधियाचना की गई। दिनांक 15.04.2017 को दाखिल विपक्षी के तृतीय समयावधि आवेदन को अस्वीकृत किया गया, क्योंकि विपक्षी सरकारी भूमि को अपने कब्जे में बनाये रखने हेतु कोई न कोई बहाना कर अपना पक्ष रखने से बचते रहें हैं। तत्पश्चात अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आदेशार्थ निमित किया गया।

अभिलेख के साथ संलग्न अंचलाधिकारी का प्रतिवेदन, अंचल अमीन का नापी प्रतिवेदन के परिशीलन से स्पष्ट है कि अपर समाहर्त्ता–सह–विशेष पदाधिकारी, राजस्व पूर्णियाँ के दफा 108 वाद सं0 986/68–69 /6708/1965 में पारित आदेश दिनांक 31.10.1969 के अनुसार मौजा–हड़िया, थाना सं0 196, खाता 388, खेसरा 1033 की भूमि में से कुल रकवा 49.30 एकड़ (दक्षिण भाग से) बिहार सरकार खाते में दर्ज करने का आदेश पारित है। जिसके तहत रकवा 49.30 एकड़ भूमि को छोड़कर शेष रकवा 83 एकड़ (उत्तर भाग से) का रैयती खतियान बना। उत्तर भाग की रैयती भूमि में नहर एवं Village Channel गुजरती है, जिसका मुआवजा राशि जमाबंदी रैयत एवं उनके वारिशानों द्वारा प्राप्त किया गया है। इसके अतिरिक्त भूदान में भी मूल रैयतों द्वारा जमीन दी गई है, जो उत्तर भाग में शामिल है। इस प्रकार उत्तर भाग की 83 एकड़ भूमि रैयतों ने अपने दखल में रखते हुए भूमि बिक्री किया तथा बाद में बिहार सरकार की भूमि 49.30 एकड़ में से भी बिक्री करते गये। बिहार सरकार की 49.30 एकड़ में से उपरोक्त विवरण की 14.79 एकड़ भूमि अवैध रूप से उपरोक्त क्रेतागण के नाम बिक्री होकर नामान्तरण उपरांत जमाबंदी दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया के आदेशानुसार अंचल अमीन/प्रभारी अंचल निरीक्षक के साथ स्थल की नापी कराकर बिहार सरकार घोषित रकवा 49.30 एकड़ का सीमांकन कर चिन्हित किया गया। उपरोक्त क्रेताओं की अंकित भूमि रकवा 14.79 एकड़ सीमांकित बिहार सरकार की भूमि के अन्तर्गत पड़ता है। फलस्वरूप संधारित उपरोक्त जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा अंचलाधिकारी, अररिया द्वारा की गई है।

अभिलेख के साथ संलग्न हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन, अमीन का नापी प्रतिवेदन/ट्रेस मैप के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त क्रेताओं द्वारा अवैध तरीके से निबंधित दस्तावेज से क्रय की गई भूमि का अंशभाग बिहार सरकार के नाम घोषित रकवा 49.50 एकड़ के अन्तर्गत पड़ता है। उक्त भूमि की जमाबंदी क्रेतागण के नाम दर्ज होना कानून के स्थापित सिद्धान्त एवं बिहार भूमि नामांतरण अधिनियम की धारा 6 के विरूद्ध है। यह भूमि सरकारी उपयोग हेतु सुरक्षित रखने योग्य है। वादग्रस्त जमीन बिहार सरकार की खास भूमि है, जिसका क्रय-विक्रय सर्वथा गलत एवं अवैध है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में अंचलाधिकारी, अररिया के अनुशंसा, नापी प्रतिवेदन तथा अपर समाहर्त्ता-सह-विशेष पदाधिकारी, राजस्व पूर्णियाँ के पारित आदेश के आलोक में निम्नांकित क्रेताओं का निम्न विवरण की अंकित भूमि कुल रकवा 14.79 एकड़ जो बिहार सरकार के खास खाता के अन्तर्गत है, की दर्ज जमाबंदी को रद्द किया जाता है।

जमीन का विवरण

क्र0	जमाबंदी रैयत का नाम	मौजा	खाता	खेसरा	रद्दीकरण हेतु प्रस्तावित रकवा एवं जमाबंदी सं0 जिससे रद्द रकवा खारिज होगा
1	श्रीमती वीना सुल्तानियां, पति-श्री अरविन्द कुमार सुल्तानियां, सा0-बसंतपुर	हड़िया थाना नं0 196	388	1033	3.00 ए0 जमाबंदी सं0 2223
2	बीबी वानो, पति-मो0 वदुद, सा0-डोरिया	हड़िया थाना नं0 196	388	1033	0.79 ए0 जमाबंदी सं0 2178
3	श्रीमती संगीता सुल्तानियां, पति-सुरेश कुमार सुल्तानियां, सा0-बसंतपुर	हड़िया थाना नं0 196	388	1033	3.00 ए0 जमाबंदी सं0 2222
4	श्री अभिषेक कुमार सुल्तानियां, पिता-श्री अरविन्द कु0 सुल्तानियां	हड़िया थाना नं0 196	388	1033	1.00 ए0 जमाबंदी सं0 2225
5	श्री अरविन्द कु0 सुल्तानियां, पिता-स्व0 रामोतार सुल्तानियां, सा0-बसंतपुर	हड़िया थाना नं0 196	388	1033	4.00 ए0 जमाबंदी सं0 3689
6	श्री सुरेश कुमार सुल्तानियां, पिता-श्री रामोतार सुल्तानियां, सा0-बसन्तपुर	हड़िया थाना नं0 196	388	1033	3.00 ए0 जमाबंदी सं0 2226

अंचलाधिकारी, अररिया को आदेश दिया जाता है कि वर्णित जमाबंदी से रद्द रकवा को बिहार सरकार के मूल जमाबंदी में शामिल कर दें।

पारित आदेश की प्रति अनुपालनार्थ अंचल अधिकारी, अररिया को भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित

ह0
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह0
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 64 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 05 / 06 /2017
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

5.6.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया